कार्यालय जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक/न्या0सहा0/माध्यमिक शिक्षा/ 1900-2001 /2021–22 दिनांक 03 अगस्त 2021

आदेश

1. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधि0 –2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत् घोषित लाकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है।

2. शासन के पत्र संख्या–1250/15–7–2020–1(20)/2020 दिनांक 30.06.2021 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को कोविड–19 के प्रोटो काल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रशासनिक कार्यो हेतु 01 जुलाई 2021 से खोले जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

3. शासनादेस संख्या–1467/15–7–2020–1(52)/2021 दिनांकः 02 अगस्त, 2021 के निर्देशानुसार छात्र हित, सत्र को नियमित करने एवं छात्रों का शिक्षण कार्य सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित **समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों को दिनांकः 15.08.2021 से कोविड–19 के प्रोटो काल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पठन–पाठन हेतु निम्न लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन खोले जाने का निर्णय लिया गया है:–**

01. कक्षा–9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाय। कोविड प्रोटोकाल के दृश्टिगत कार्यक्रम में सीमित संख्या में छात्र/छात्राओं को सीमित अवधि के लिये बुलाया जाय। उक्त दिन शिक्षण कार्य नही कराया जाय।
02. विद्यालयों द्वारा सप्ताह में शनिवार एवं रविवार को छोड़ कर पॅाच दिन, भौतिक रूप से पठन–पाठन दिनांकः 16.08. 2021 से कराया जाय।
03. विद्यालयों को दो पालियों में प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं अपरान्ह 12:30 से 04:30 तक संचालित किया जाय। कक्षा–9, 10, 11एवं 12 के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाय। विद्यार्थियों को समय से उनकी निर्धारित पाली के विषय में सूचना उपलब्ध करायी जाय।
04. प्रत्येक दिन विद्यालय खोले जाने से पूर्व प्रत्येक पाली के उपरान्त तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को समस्त विद्यालय परिषर में सेनीटाइजेशन का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय।
05. विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुये घर वापस भेज दिया जाये।
06. समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय के अन्य कर्मियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाये।
07. विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय।
08. यदि विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
09. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो उन वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाईज्ड कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
10. सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाय।
11. विद्यार्थियों को कक्षा में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
12. कोविड–19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाय।
13. पठा–पाठन हेतु भौतिक रूप से विद्यालय खुलने के पूर्व नगर निकाय के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों तथा विद्यालयों के आस–पास स्थित नालियों की साफ–सफाई चूना–छिड़काव सहित सम्पूर्ण सेनीटाइजेसन का कार्य नगर विकास

विभाग के अन्तर्गत आने वाले सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में उक्त कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाय। उक्त दोनों विभागों द्वारा प्रत्येक दिन विद्यालय खुलने से पूर्व, प्रत्येक पाली के उपरान्त तथा सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को विधिवत रूप से उपरोक्त सेनेटाइजेशन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाय।

14. विद्यालय में प्रवेश हेतु सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिये कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। सिर्फ चिकित्सीय आधार पर पुरूष एवं महिला कर्मी को छूट होगी।

अतः जनपद लखीमपुर–खीरी में संचालित समस्त बोर्डों के संचालित माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि शासन के आदेश के क्रम में दिनांक 15.08.2021 को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम एवं दिनांक: 16.08.2021 से कक्षा–09, 10, 11 एवं 12 के विद्यार्थियों हेतु भैतिक रूप से पठन–पाठन हेतु विद्यालय का संचालन सुनिश्चित किया जाये। उल्लेखनीय है किसी भी स्तर पर शासनादेश का अनुपालन नही किये जाने की सूचना अथवा कोविड–19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन किये जाने का मामला प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध **कोविड–19 एपेडेमिक एक्ट** के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ0अरविन्द कुमार चौरसिया)
जिलाधिकारी
खीरी।

पृ0सं0 व दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
02. अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
03. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
04. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक लखीमपुर–खीरी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर–खीरी।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखीमपुर–खीरी।
4. नगर मजिस्ट्रेट लखीमपुर–खीरी।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद लखीमपुर–खीरी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर–खीरी।
7. उप संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) जनपद खीरी।
8. अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका/नगर पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिन्दु संख्या 13 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना अधिकारी लखीमपुर–खीरी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन जनपद खीरी के समस्त दैनिक समाचार–पत्रों में कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/मदरसा शिक्षा परिषद उ0प्र0 /उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त समस्त राजकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उ0मा0वि0/इण्टर कालेज, जनपद लखीमपुर–खीरी को अनुपालनार्थ।

(डॉ0अरविन्द कुमार चौरसिया)
जिलाधिकारी
खीरी।